



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O

BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1906 /Type Approval No. 1906
मद/FOR ITEM: सिलिकॉन बेस रबड़ कम्पाउंड आई-4922
Silicone Base Rubber Compound AE-4922

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स एरोस्पेस इंजिनियर्स, द सेलम एरोपार्क, एनएच-7, अम्मपालयम गाँव, मल्लूर, सलेम – 636 203 (टी.एन) द्वारा विकसित तथा उत्पादित “सिलिकॉन बेस रबड़ कम्पाउंड आई-4922” को मेसर्स एच ए एल परियोजनाओं में ओ रिंग्स, गैस्केट्स, वाशर्स आदि को उत्पादित करने हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर. सी. एम. ए (एफ एंड एफ-एफओएल) के समन्वय से विनिर्देश सं. एचएम-4922, इश्यू-डी के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कंप्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to Certify that the “Silicone Base Rubber Compound AE - 4922”, developed & produced by M/s. Aerospace Engineers, The Salem Aeropark, NH-7, Ammapalayam Village, Mallur, Salem- 636 203, Tamilnadu is hereby approved for production, for manufacturing O rings, Gaskets, washers etc., for use on M/s. HAL Projects. It has been tested in coordination with RCMA (F&F-FOL) as per Specification No. HM-4922, Issue-‘D’. It has met the requirements as detailed in the Type Record Compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 सितम्बर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजों के साथ आर. सी. एम. ए (एफ एंड एफ-एफओएल), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th September 2021 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (F&F-FOL), for subsequent renewal, Three (03) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए./TA-1906
दिनांक/Date : 27 September 2016
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

 


(पी. जयपाल /P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)